>

Title: Need to enact a legislation for proper disposal and recycling of electronic wastes in the country.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): देश में इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के कचरे और उनकी अवैध तरीके से रिसाइकलिंग से पर्यावरण कुप्रभावित हो रहा है। भारत में ई कचरे के निस्तारण की कोई चार-चौबंद व्यवस्था नहीं है। कुछ व्यापारी इलैक्ट्रोनिक उपकरणों को तोड़ कर उनमें मौजूद तत्व निकलते हैं। इस रिसाइकलिंग से जुड़े मजदूर न तो दस्ताने पहनते हैं न ही उनके मुंह पर कोई मास्क होता है। इस तरीके से निस्तारण में मिट्टी में खतरनाक रासायनिक तत्व मिल जाते हैं, जिनका असर पेड़-पौधों, प्राणी और मानव जाति पर पड़ रहा है। खतरनाक रासायनिक तत्व भूजल पर भी असर डालते हैं। ई-कचरे से हुए परिणाम से कोई भी अनजान नहीं है, मगर अभी तक इसे रोकने के लिए अपने देश में कोई कानून नहीं है और न ही विदेश से आयात होने वाले ई-कचरे को रोकने के लिए कोई कानून बना है। हाल ही में हुए कोबाल्ट कचरे के परिणाम, दिल्ली वाले अभी तक भुगत रहे हैं। आई.टी. युग के शुभ एवं दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं।

मैं सरकार से मांग करती हूं कि सरकार ई-कचरे के निपटान हेतु कोई ठोस कदम उठाये।